हुक्म की तामी
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 04/2016

अनवानः– राजस्थान राज्य जरिये थाना अधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री भीमसैन पुत्र दल्लूराम जाति गोस्वामी सा0 दूधवाली ढाणी।

2 श्री श्रवण कुमार पुत्र ख्यालीराम जाट सा0 दूधवालीढाणी।

अप्रार्थीयान

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट बाबत डीजल के निस्तारण

उपस्थितः– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री राज कुमार शर्मा अधिवक्त अप्रार्थी सं0 1
2 श्री सुखवीर भाम्भू अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2

–:निर्णयः–

दिनांकः–22.01.2018

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.03.16 को जरिये मुखविर ईतला मिली कि पण्डितावाली बस अडडा पर भीमसैन व श्रवण कुमार दोनों बालाजी ट्रेक्टर वर्कशाप पर अवैध डीजल बेचने का धन्धा करते हैं। तो बस अडडा पण्डितावाली बालाजी ट्रेक्टर पर पहुंचा तो दुकान के आगे एक पिकअप खड़ी है जिसका डाला खुला हुआ है। तथा डाले में ड्रम व कनी रखी हुई है एवं पास की दुकान में दो व्यक्ति काउंटर पर बैठे हैं तथा दुकान के आगे तीन ड्रम प्लास्टिक व एक केनी रखी है तथा एक ड्रम पर तेल निकालने वाला पम्प लगा हुआ है। पुलिस पार्टी को देखकर दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति खडा होकर खाली प्लाट ससे होते हुए दुकान के पीछे भागा जिसका स्टाफ ने पीछा किया मगर सफलता नहीं मिली। भागने वाले व्यक्ति को हमरा स्टाफ ने पहचान लिया उसका नाम भीमसैन गोस्वामी होना बताया व काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्रवण कुमार बताया। दुकान के आगे खडी पिकअप डाला का पूछा तो श्रवण ने अपना होना बताया। जिस पर पिकअप को चैक किया तो पिकअप डाला नं0 आरजे 31 जीए 8298 के पीछे डाला में तीन ड्रम प्लास्टिक बरंग हरे 200–200 लीटर वाले रखे हैं तथा दो केनी 100–100 लीटर बरंग हरी रखी है। जिनको चैक किया तो एक ड्रम में 200 लीटर डीजल तथा दो ड्रम खाली व एक केनी में करीब 100 लीटर व दूसरी केनी में करीब 50 लीटर डीजल इस प्रकार कुल 350 लीटर डीजल भरा हुआ है। इसके अलावा बाला जी ट्रेक्टर वर्कशाप के आगे कुल तीन ड्रम व एक छोटी केनी पडी है।

जिनको चैक करने पर 320 लीटर डीजल व एक छोटी केनी में करीब 15 लीटर पेट्रोल भरा है। इस प्रकार पिकअप डाला व दुकान के आगे रखे ड्रमों में कुल 670 डीजल व 15 लीटर पेट्रोल भरा है। ड्रम पास एक लोहे का पम्प तेल निकालने वाला तथा एक लोहे का माप 10 लीटर व एक लोहे का माप 5 लीटर व एक लोहे का माप 2 लीटर तथा एक प्लास्टिक की कीप तेल निकालने वाली पडी है। श्रवण कुमार से पिकअप डाला व पिकअप डाला में रखे डीजल व बेचने की सामग्री का पूछा तो बताया कि मैं व भीमसैन दोनो उक्त डीजल हरियाणा प्रान्तसे सस्ते दामों पर लाकर बेचने का धन्धा करते है। उक्त डीजल व सामग्री अपनी होना बताया गया। जिस पर श्रवण कुमार से डीजल बेचने व इतनी मात्रा में डीजल पेट्रोल अपने कब्जा में रखने बाबत लाईसेंस/परमिट पूछा तो नहीं होना बताया। इस प्रकार श्रवणकुमार व भीमसैन का उक्त कृत्य राज. पेट्रोलियम उत्पादक एवं अनुज्ञा पत्र एवं नियंत्रण आदेश 1990 का उल्लंघन करना जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने पर उक्त सामग्री व पिकअप को बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फर्द पर मु0नं0 132/16 धारा 3/7 ईसी एक्ट दर्ज कर तफतीश शुरू की गयी। रिपोर्ट अर्न्तगत धारा 6 ए ई.सी. एक्ट पेश कर निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जब्त वजह सबूत डीजल तथा खली ड्रम व बेचान के उपकरणों के निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया।

अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये तथा जबाब प्रस्तुत किये। अप्रार्थी सं0 1 ने जबाब में अंकित किया कि प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण मनगंढत तथ्यों के आधार पर दर्ज किया है। प्रार्थी अवैध डीजल का कारोबार नहीं करता है प्रार्थी कृषि पेशा व्यक्ति है तथा अपनी खेती हेतु खेत में टयूबवैल पर ईजन चलाने व ट्रेक्टर स्वयं के चलाने के लिये डीजल लेकर रखा था। प्रार्थी के पास निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल बरामद नहीं किया गया है तथा पुलिस द्वारा कतई गलत रूप से मुझ प्रार्थी के विरूद्ध जानबूझकर मिथ्या आधारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कार्यवाही ड्राप की जावे व डीजल की राशि प्रार्थी को दिलवाई जावे।

अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने जबाब में अंकित किया कि प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण मनगंढत तथ्यों के आधार पर दर्ज किया है। प्रार्थी कृषि पेशा व्यक्ति है व ट्रेक्टर के इंजन आदि चलाने के लिए स्वयं के उपयोग व उपभोग के लिए डीजल लेकर आया था। निर्धारित मात्रा से ना तो डीजल का परिवहन किया गया है व ना ही निर्धारित मात्रा से अधिक परिवादी से डीजल बरामद किया गया है। जबकि उसी समय पुलिस को डीजल अपने उपयोग के लिए लाया जाना बता दिया था लेकिन पुलिस द्वारा जानबूझकर इस बात को अनदेखा करते हुए मिथ्या आधारो पर मुकदमा दर्ज किया है। प्रार्थी से पुलिस द्वारा डीजल की मात्रा 300 लीटर बरामद करना दर्शाई है जबकि राज्य सरकार की नोटिफिकेशन में 1000 लीटर तक का परिवहन किया जा सकता है। इसलिए कार्यवाही ड्राप कर डीजल की राशि प्रार्थी को दिलवाई जावे।

उक्त प्रकरण प्रथमतः श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में दिनांक 29.03.2016 को पेश हुआ जिसमें दिनांक 29.03.16 को जब्त शुद्धा वाहन को श्रवण कुमार को सशर्त सुपुर्द की गयी व जब्त शुद्धा डीजल/पेट्रोल मय ड्रमों वकेनी एवं बेचान के उपकरणों के अन्तरिम निस्तारण हेतु जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिनांक 29.03.16 को आदेशित किया गया । जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपने पत्रांक 4098 दिनांक 09.06.16 से सूचना प्रेषित की गयी कि जब्त शुद्धा डीजल/पेट्रोल का निस्तारण कर जरिये चालान नं. 0011315901 दिनांक 02.6.2016 से राशि 33330/– राजकोष में जमा करा दी गयी है। तत्पश्चात् प्रकरण इस न्यायालय को स्थानान्तरण हुआ और दर्ज रजिस्टर किया गया।

(7)

बहस सुनी गयी । राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थी का यह कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जब्त शुद्धा डीजल/पेट्रोल व अन्य उपकरणों की राशि जो पूर्व से जिला रसद अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गयी है उसे राजसात करने के आदेश दिये जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए तर्क किया कि अप्रार्थी पर मुकदमा झूठा व बेबुनियाद बनाया है तथा डीजल अप्रार्थीयान अपनी कृषि कार्य के लिए रखा गया था। इसलिए कार्यवाही अप्रार्थीयान के विरूद्ध ड्राप की जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) क्रिमीनल एल आर (राज0) पेज 506 व निर्णय मा. उच्च न्यायालय जोधपुर दिनांक 02.2.16 अनवानी रणजीत सिंह बनाम स्टेट प्रस्तुत किये गये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया । पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अंकित है कि जब्ती के समय अप्रार्थीयान से बिना लाइसेंस/परिमिट के बालाजी ट्रेक्टर वर्कशाप से जब्त किया गया है। साथ ही बिना लाइसेंस/परमिट के डीजल/पेट्रोल बेचने के उपकरण भी बरामद किये गये हैं। अप्रार्थीयान द्वारा कृषि कार्य से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे सिद्ध हो सके कि अप्रार्थीयान द्वारा जब्त डीजल/पेट्रोल कृषि कार्य क लिए ही उपयोग हेतु खरीद किया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थीयान डीजल/पेट्रोल अवैध रूप से बेचने का कार्य करते थे। जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार बिना लाईसेंस/परमिट के डीजल पेट्रोल बेचने का कार्य नहीं किया जा सकता । इसलिए जब्त शुद्धा डीजल राजसात किया जाना उचित है।

अतः अप्रार्थीयान से जब्त शुद्धा 670 लीटर डीजल , 15 लीटर पेट्रोल व जब्त शुद्धा ड्रम व केनी तथा बेचान के उपकरणों को अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किया जाता है। डीजल/पेट्रोल की राशि पूर्व से जमा हो चुकी है। ड्रम, केनी व बेचान के उपकरणों को जरिये नीलामी नीलाम करने व राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिये जाते है। जब्त शुद्धा पिकअप आरजे 31 जीए 8298 का निस्तारण सक्षम न्यायालय के निर्णय पर आधारित रहेगा । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ व थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़